संख्या-09/2022/पी-285/002-38-9002 002 1 2022

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 14 सितम्बर 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष द्वितीय किश्त रू0 64.12 लाख की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2779/एफ-31(10)/यूपीआरआरडीए/2022-23 दिनांक-24.08.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के संचालन हेतु सहायता अनुदान में वेतन भत्तों के लिए प्राविधानित धनराशि रू0 256.50 लाख (रूपये दो करोड़ छप्पन लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष द्वितीय किश्त रू0 64.12 लाख (रूपये चौसठ लाख बारह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदया द्वारा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

1. उक्त धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की नियमावली एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के द्वारा निर्गत निर्देशें के अनुसार किया जायेगा।
2. धनराशि को एक मुश्त आहरित न करते हुए अपितु इसका आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
3. धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय धनराशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिकारी/कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 64,12,000 (रूपये चौसठ लाख बारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 013 लेखा शीर्षक 2515008000401 उ.प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की स्थापना मानक मद 31 सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 13/2022/बी-1-1454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-09/2022/पी-285/002-38-9002 002 1 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।

3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

7- श्री हरी राम (नोडल अधिकारी), संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वित्तीय स्वीकृतियों को उ0प्र0 बजट उलाटमेंट सिस्टम के माध्यम से आनलाइन निर्गत किये जाने तथा आनलाइन बजट एलाटमेंट सिस्टम में प्रविष्ट करने हेतु।

8- ग्राम्य विकास अनुभाग-3

9- गार्डबुक।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।